संख्या- 70/2023/755/छप्पन-2023-31/2016

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2023

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरिफेरी पर स्थित भूमि की मूल्यांकित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-47/ए.एफ.-2022-116/2016 दिनांक 01 जून, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरिफेरी पर स्थित 12 गाटा संख्याओं की 1.5639 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय करने हेतु भूमि क्रय की दर एवं कुल मूल्यांकन रू0 4,84,80,900.00 (रूपए चार करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार रू0 1,81,80,337/- (रूपए एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरिफेरी पर स्थित 12 गाटा संख्याओं की 1.5639 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय करने हेतु भूमि क्रय की दर रू0 3100.00 प्रति वर्गमीटर एवं मूल्यांकित धनराशि रू0 4,84,80,900.00 (रूपए चार करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र) पर अनुमोदन एवं NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार रू0 1,81,80,337/- (रूपए एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उक्त धनराशि रू0 1,81,80,337/- (रूपए एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत भूमि के क्रय से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरिफेरी पर स्थित 12 गाटा संख्याओं की 1.5639 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय करने हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 4,84,80,900.00 (रूपए चार करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,81,80,337/- (रूपए एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-37/दस-2023-24, दिनांक 23 जून, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 70/2023/755(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमोदित धनराशि रू0 4,84,80,900.00 (रूपए चार करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कलैक्टर/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

5- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ राजस्व अनुभाग-13.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।